

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(231)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2016/

दिनांक : 26.02.18

संबंधित  
कोषाधिकारी,  
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या 734 /2017-18)

विषय : नगर परिषद/नगर पालिकाओं के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ.55(29)Engg/CE/DLB/ESCO/2017/27523-78 दिनांक 15.02.2018 (प्रति संलग्न) के क्रम में संबंधित नगर परिषद/नगर पालिकाओं के निजी निक्षेप खातों में राशि रूपये 1276.23 लाख (अक्षरे रूपये बारह करोड़ छियत्तर लाख तेईस हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

192 - नगर परिषद/नगर पालिकाओं को सहायता

(33) - सार्वजनिक रोशनी


[01] - विद्युत बिलों का भुगतान प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) -

राशि रूपये 1276.23 लाख

उक्त राशि का आहरण नियमानुसार संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम व नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।


भवदीय

  
(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-1 राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. संबंधित जिला कलेक्टर
06. संबंधित आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग), विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

वेबसाईट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : एफ.55 (29) Engg/CE/DLB/ESCO/2017/ 27523

दिनांक : 15-2-18

--: स्वीकृति आदेश :-

विषय : ऊर्जा संरक्षण कार्यो के तहत विभिन्न फर्मो द्वारा किये गये कार्य के भुगतान हेतु नगर परिषदो/पालिकाओ के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

राज्य के नगर परिषदो/पालिकाओ में कार्य कर रही फर्म मैसर्स Energy Efficiency Services Limited (EESL) को भुगतान हेतु राशि रूपये 1276.23 लाख (अक्षरे रूपये बारह करोड़ छियत्तर लाख तेईस हजार मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये संबंधित परिषदो/पालिकाओ के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कोष कार्यालय	निकाय का नाम	मौग संख्या 29 बजट शीर्ष 2217-80-192- (33)-[01]-12 प्रतिबद्ध (राज्य निधि)
1	2	3	4
1	अजमेर (1091)	केकड़ी	29.04
	योग		29.04
2	चित्तौडगढ़ (1101)	चित्तौडगढ़	83.91
3		निम्बाहेडा	30.35
	योग		114.26
4	झुन्झुनू (1115)	पिलानी	15.57
5		बिसाउ	1.04
6		मण्डावा	2.34
	योग		18.95
7	टोंक (1127)	टोंक	19.11
8		उनियारा	6.80
9		मालपुरा	11.77
10		निवाई	17.75
	योग		55.43
11	सीकर (1125)	सीकर	140.47
12		नीमकाथाना	5.24
	योग		145.71
13	श्रीगंगानगर (1106)	श्रीगंगानगर	144.27
14		पदमपुर	1.75
	योग		146.02
15	डूंगरपुर (1105)	डूंगरपुर	47.25
	योग		47.25
16	पाली (1121)	पाली	155.89
	योग		155.89
17	चूरू (1102)	चूरू	116.67
	योग		116.67
18	हनुमानगढ़ (1107)	संगरिया	15.00
	योग		15.00
19	कोटा (1118)	कैथून	2.29
	योग		2.29
20	ब्यावर (1096)	ब्यावर	63.19
	योग		63.19

क्र.सं.	कोष कार्यालय	निकाय का नाम	मौग संख्या 29 बजट शीर्ष 2217-80-192- (33)-[01]-12 प्रतिबद्ध (राज्य निधि)
1	2	3	4
21	भीलवाडा (1098)	भीलवाडा	363.05
	योग		363.05
22	भरतपुर (1097)	वैर	3.48
	योग		3.48
	महा योग		1276.23

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171800134 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में जारी की गई है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55 (29) Engg/CE/DLB/ESCO/2017/ 27524-38 दिनांक : 15-2-18  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. शासन सचिव (बजट)/आयोजना, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि सम्बन्धित नगर परिषद/पालिकाओं को स्वीकृत अनुदान राशि उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति जारी करने हेतु।
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), जयपुर।
8. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता निदेशालय।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत), निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि बिलों की नियमानुसार जांच, बिलों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने, बिलों के प्रमाणीकरण एवं एमओयू के अनुसार होने की सुनिश्चिता की जावे।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अजमेर/ चित्तौडगढ़/ झुन्झुनू/ टोंक/ सीकर/ श्रीगंगानगर/ डूंगरपुर/ पाली/ चूरू/ हनुमानगढ़/ कैथून/ ब्यावर/ भीलवाडा/ भरतपुर।
12. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/ बीकानेर/ जोधपुर/ कोटा/ भरतपुर/ उदयपुर/ अजमेर।
13. आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर परिषद/पालिका, ब्यावर/भीलवाडा/चित्तौडगढ़/केकड़ी/निम्बाहेडा/पिलानी/सीकर/नीमकाथाना/डूंगरपुर/पाली/चूरू/संगरिया/टोंक/उनियारा/मालपुरा/निवाई/बिसाउ/मण्डावा/श्रीगंगानगर/कैथून/पदमपुर/वैर को भेजकर लेख है कि बिलों की नियमानुसार जांच, बिलों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने, बिलों के प्रमाणीकरण एवं एमओयू की शर्तों की पूर्ति होने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जावे।
14. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
15. प्रभारी वेबसाइट/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
16. मैसर्स Energy Efficiency Services Limited, New Delhi.
17. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राम पवार)  
मुख्य लेखाधिकारी